


**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.520-तीन/03

जिला-शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-15	<p>इस प्रकरण में आवेदक की ओर से दिनांक 4-5-07 के बाद से कोई उप. नहीं हो रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं है।</p> <p>अतः आवेदक की रुचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> ( एम.के.सिंह ) सदस्य</p>	



C-89151

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म० प्र०

प्रकरण क्रमांक : /2002-2003 R-520-111/03

अनिवार्यता अधिनियम-1950  
द्वारा आज दिनांक 31/3/03

संजय राव पिता सज्जेराव आयु 45 साल,  
जाति मराठा, धंधा कृषि, निवासी  
श्रीमंज शृजालपुर मण्डी, जिला शाजापुर  
मध्य प्रदेश

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विलुप्त

31 MAR 2003

1. विक्रमसिंह पिता स्मरधर्मल, आयु लगभग 40वर्ष  
जाति जैन महाजन, धंधा व्यापार, नि०  
बनिधासेरी, शृजालपुर सिटी, जिला शाजापुर  
मध्य प्रदेश.
2. हेमंत कुमार पिता बागमल, आयु लगभग 32वर्ष  
जाति जैन महाजन धंधा हाडवियर व्यापार  
निवासी लोहिया मार्ग शृजालपुर मण्डी, तह०  
शृजालपुर, जिला शाजापुर म.प्र.
3. श्रीमति विजयमाला विजयवर्गीय पति शिवाजी  
राव देशमुख, धंधा गृहकार्य, शिखर जाति मराठा
4. शारिषा कुमार पिता स्व. शिवाजी राव  
देशमुख, आयु लगभग 45 साल, जाति मराठा,  
धंधा सर्किस
5. राजीव कुमार पिता स्व० शिवाजीराव देशमुख  
आयु लगभग 40 साल, जाति मराठा, धंधा  
व्यापार, रिस्पॉन्डेंट क्रं. 1 लगायत 3 निवासी  
शृजालपुर सिटी, हाल मुकाम साउथ परेड फ्लोर  
नं. 7 होटल सूर्या के पास इंदौर, तहसील व जिला  
इंदौर मध्य प्रदेश - - - - रिस्पॉन्डेंट्स

31-03-003  
nil kumar Shivraj  
Advocate

पुनरीक्षण धाचिका अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश शू राजस्व  
संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन  
सम्भाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 122/2002-2003 में  
पारित आदेश दिनांक 13/3/2003 से दृष्टि होकर

*(Signature)*

निर्देश-2 पर